# प्रिलिम्स फैक्ट: 04 मई, 2021

drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-01-may-2021-1

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

## राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

### State Disaster Response Fund

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ( State Disaster Response Fund- SDRF) की पहली किस्त जारी की है।

- प्रायः **वित्त आयोग** (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार पहली किस्त जून माह में जारी की जाती है।

## प्रमुख बिंदु:

### SDRF के विषय में:

- SDRF का गठन **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की धारा 48 (1) (a) के तहत किया गया है।
  - इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- यह राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है, जिसका उपयोग प्रायः अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- प्रतिवर्ष भारत के **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक** (Comptroller and Auditor General of India- CAG) द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है।

### योगदान:

- केंद्र सरकार SDRF आवंटन में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 75% तथा विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 90% का योगदान देती है।

- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।

**SDRF के अंतर्गत शामिल आपदाएँ:**

**चक्रवात**, सूखा, **भूकंप**, आग, बाढ़, **सुनामी**, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, ठंढ और शीत लहरें आदि।

**स्थानीय आपदाएँ:**

राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु SDRF के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जिन्हें गृह मंत्रालय की आपदाओं सूची में शामिल नहीं किया गया है।